हर नारायणी देवी व अन्य
बनाम
भारत संघ व अन्य

हेमंत गुप्ता व विक्रम नाथ (न्यायमूर्तिगण)
सिविल अपील संख्या – 22957/2017
दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 धारा 50 (ए) हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 4 (ए) भारतीय संविधान अनुच्छेद 254, हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005, सामान्य खण्ड अधिनियम धारा 6 (ख)
सितम्बर 20, 2022

यह मूल याचिकाकर्ताओं की याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 2887/2008 को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.09.2009 को चुनौती दी है, जहां दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 50 (ए) को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 254 और 21 के अधीन अधिकारातीत घोषित करने के लिए कहा गया था।

वाद तथ्य

2. मामले के लिए प्रासंगिक वंशावली (वंशावली) इस प्रकार है:
श्री मुख्तियार सिंह, मृत्यु 06.06.1997 को पुत्र
(1) श्री महिन्द्र सिंह, मृत्यु 1975,
(2) श्री जगदीश पुत्र, मृत्यु 1976,
कुलदीप और कुलबीर पुत्र श्री जगदीश,
(3) ईश्वर; मृत्यु 1985
विधवा (ईश्वर सिंह) याचिकाकर्ता नं0–1, पुत्री (ईश्वर सिंह) याचिकाकर्ता नं0–2, पुत्र ईश्वर सिंह याचिकाकर्ता नं0–3, जयदेव पुत्र (ईश्वर सिंह), याचिकाकर्ता नं0–4 अमित

उपरोक्त वंशावली से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ईश्वर सिंह की विधवा और बेटी हैं जबकि विरोधी प्रतिवादी नं0 3 व 4 ईश्वर सिंह के बेटे हैं। यह विवाद मुख्तियार सिंह की कृषि संपत्ति से जुड़ा है। उनके तीन बेटे थे महिंदर सिंह, जगदीश सिंह और ईश्वर सिंह।

वे सभी उनसे पूर्व ही मृत हो गये। मुख्तियार सिंह की मृत्यु 06.06.1997 को हुई और ईश्वर सिंह की शाखा से संबंधित उनकी विरासत 1954 अधिनियम की धारा 50 (ए) के तहत उनके पोते ;ईश्वर सिंह के बेटे यानी जयदेव और अमित, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा प्राप्त की गई। व राजस्व अभिलेखों को तदनुसार शुद्ध किया गया।
3. 1954 अधिनियम की धारा 50 का पुनः अवलोकन करना उचित होगा।

''50 पुरुषों से उत्तराधिकार का सामान्य क्रम – धारा 48 और 52 के प्रावधानों के अधीन, जब एक भूमिधर या आसामी पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी हिस्सेदारी में उसका हित नीचे दिए गए उत्तराधिकार के क्रम के अनुसार हस्तांतरित होगा।
ए) वंश की पुरुष पंक्ति में पुरुष वंशावली वंशज,
बशर्ते कि इस वर्ग के किसी भी सदस्य को विरासत नहीं मिलेगी यदि उसके और मृतक के बीच कोई पुरुष वंशज जीवित है,
बशर्ते कि पूर्व मृत व्यक्ति का पुत्र या पुत्रों चाहे कितना भी कम क्यों न हो, उस हिस्से का उत्तराधिकारी होगा जो मृतक को प्राप्त होता यदि वह जीवित होता,

बी) विधवा
सी) पिता
डी) माँ, विधवा होने के कारण
ई) सौतेली माँ, विधवा होने के कारण
एफ) पिता के पिता
जी) पिता की माँ, विधवा होने के नाते
एच) पुरुष वंश के किसी पुरुष वंशज की विधवा
आई) भाई, मृतक के समान पिता का पुत्र होने के नाते
जे) अविवाहित बहन
के) भाई का बेटा, भाई मृतक के समान पिता का बेटा है
एल) पिता के पिता का पुत्र
एम) भाई के बेटे का बेटा
एन) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र
ओ) बेटी का बेटा।

4. अपीलकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका के माध्यम से 1954 अधिनियम की धारा 50 (ए) की वैधता को चुनौती दी क्योंकि उन्हें प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के साथ विरासत में किसी भी अधिकार से वंचित कर दिया गया था।
5. रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष दावा की गई राहत निम्न प्रकार है,
''ए दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 50 के खंड (ए) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 254 और 21 के विपरीत असंवैधानिक घोषित करना
(बी) याचिकाकर्ताओं को अनुलग्नक–3 में वर्णित उनके द्वारा विरासत में मिली संपत्ति में प्रतिवादी संख्या 3–4 के बराबर उत्तराधिकार के समान अधिकार रखने वाले ''भूमिधर'' घोषित करने के लिए
(सी) न्याय हित में कोई अन्य राहत देने के लिए
(डी) मुकदमेबाजी की लागत देने के लिए''

6. उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती निम्न आधार पर थी:–
(I) अनुच्छेद 14 का उल्लंघन (II) दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाए जाने के बावजूद महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है (III) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 1954 अधिनियम पर प्रभावी होगा।

7. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विभिन्न निवेदनों पर विचार किया और इस तथ्य पर विश्वास किया कि 1954 को इसके बाद '1956 अधिनियम' अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया था, जिसे मामले में फैसले से बहुत पहले संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा गया था।केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(बी) के मद्देनजर भी, जो ऐसे कानून के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, दिनांक 11.09.2009 के आक्षेपित निर्णय द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। उसी से व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।
8. प्रारंभ में, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 उपस्थित हुए थे। इसके बाद मामले से उन्मोचन पाने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड द्वारा एक आई. ए. दायर किया गया था। ऐसे आई. ए. को 05.05.2022 को स्वीकृति दी गई थी। न्यायालय की सहायता के लिए श्री आनंद यादव, अधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया गया।
9. हम अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील और विद्वान न्याय मित्र द्वारा दी गई दलीलों को संक्षेप में नोट कर सकते हैं। अपीलकर्ता के तर्क :

10. संक्षेप में कहा गया है कि अपीलकर्ताओं की ओर से निम्नलिखित तर्क उठाए गए थे :
ए. 1956 के अधिनियम के तहत दिए गये उत्तराधिकार 1954 के अधिनियम में दिए गये उत्तराधिकार पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 254 के अनुसार प्रबलता प्राप्त करेंगे क्योंकि इसमें स्पष्ट प्रतिकूलता है।
बी. 1956 अधिनियम की धारा 4 (2) को 2005 में एक संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, 1954 अधिनियम में दिए गए उत्तराधिकार के प्रावधानों को लागू करने का कोई औचित्य नहीं होगा क्योंकि यह अब 1956 अधिनियम द्वारा शासित होगा।
सी. विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य के मामले में निर्णय के बाद, 1956 अधिनियम की धारा 4(2) का निरसन भूतलक्षी होने से संबंधित होगा और यह भी कि 1956 की धारा 6 में संशोधन भूलक्षी माना जायेगा।
डी. 1954 अधिनियम की धारा 50 (ए) के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन हैं क्योंकि इसमें लिंग के आधार पर स्पष्ट भेदभाव है।
इ. इस प्रस्ताव के लिए बाबू राम बनाम संतोख सिंह और अन्य के मामले में फैसले पर विश्वास रखा गया था कि 1956 अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।
प्रतिवादी (वाद मित्र के तर्क)
11. प्रतिवादियों की ओर से विद्वान न्यायमित्र ने निम्नलिखित दलीलें दीं, जिन्हें संक्षेप में यहां दर्ज किया गया है,

ए. 1954 का अधिनियम 1964 से संविधान की नौवीं अनुसूची का भाग है तथा 1954 के अधिनियम की धारा 51 से 53 को संविधान के अनुच्छेद 31 (ए) और 31 (बी) के मद्देनजर, संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के उल्लंघन के कारण चुनौती नहीं दी जा सकती है।
बी. 1954 अधिनियम के प्रावधान प्रस्तावना और क़ानून के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निर्धारित विभिन्न कारणों से देश भर में कृषि भूमि के तय उत्तराधिकार के अनुरूप हैं।
सी. 1954 अधिनियम के प्रावधान,1956 अधिनियम की धारा 4 (2) को हटाने से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं।
डी. 1956 अधिनियम एक सामान्य कानून है जबकि 1954 अधिनियम एक विशेष कानून है और इसलिए, 1954 अधिनियम कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार को नियंत्रित करेगा।
इ. 1954 अधिनियम के तहत प्रदान किया गया उत्तराधिकार समान नागरिक संहिता की ओर एक कदम है, क्योंकि उत्तराधिकार, सभी भूमि धारकों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या पंथ के हों और किसी भी धर्म के व्यक्तिगत कानून कोई अपवाद नहीं बनाते हैं।

एफ. दशकों से स्थापित कानून को नहीं छेड़ा जाना चाहिए।
12. उच्च न्यायालय के समक्ष 1954 अधिनियम की धारा 50 (ए) की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 19, 21 और 254 का उल्लंघन करती है।
13. निवेदन के समर्थन में, अपीलकर्ता जो उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता थे, उन्होंने (I) केशवानंद भारती (II) वामन राव और अन्य के मामलों में निर्णयों पर विश्वासकिया। बनाम भारत संघ और (III) आईआर कोएल्हो (मृत) द्वारा विधिक उत्तराधिकारी बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य उच्च न्यायालय ने निर्णयों पर विस्तार से विचार किया और उसका अंतिम विश्लेषण यह था कि जिन निर्णयों पर विश्वास किया गया, उनमें से किसी से भी अपीलकर्ताओं को कोई मदद नहीं मिली। इस न्यायालय का सुसंगत रुख यह था कि केशवानंद भारती के मामले में 24.04.1973 के फैसले से पहले संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल सभी कानून, संविधान के अनुच्छेद 31 बी के तहत संरक्षित होंगे और इसलिए, 1954 अधिनियम के प्रावधानों की वैधता को चुनौती विफल होनी चाहिए।
14. उच्च न्यायालय द्वारा यह तर्क दिया गया, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऊपर संदर्भित न्यायालय के निर्णयों की सही व्याख्या है और इस प्रकार इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हम यह भी नोट

कर सकते हैं कि, हमारे सामने अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने न तो यह तर्क उठाया है और न ही उच्च न्यायालय के उपरोक्त तर्क को कोई चुनौती दी है। यह भी ध्यान रखना उचित होगा कि उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य तर्कों पर ध्यान नहीं दिया गया था। हालाँकि, जैसा कि तर्क दिया गया है, उन्हें इसके बाद निपटाया जा रहा है।
15. अब हम अपीलकर्ताओं और उसके जवाब में उत्तरदाताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों को देखेगें

(I) प्रतिकूलता . संविधान का अनुच्छेद 254

16. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तीव्र रूप से आग्रह किया है कि 1954 अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 254 से प्रभावित होगा क्योंकि 1956 अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है जबकि 1954 अधिनियम एक राज्य अधिनियम है । यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 1956 का अधिनियम एक विशेष कानून है और 1954 का अधिनियम एक सामान्य कानून है।
17. संविधान का अनुच्छेद 254 इस प्रकार हैः
"254. संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता
(1) यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल है, जिसे संसद अधिनियमित करने में सक्षम है, या समवर्ती सूची में शामिल मामलों में से किसी एक के संबंध में मौजूदा कानून का कोई भी प्रावधान, खंड (2) के प्रावधानों के अधीन, संसद द्वारा बनाया गया कानून, चाहे वह विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से पहले या बाद में पारित हो राज्य, या, जैसा भी मामला हो, मौजूदा कानून प्रभावी होगा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, प्रतिकूलता की सीमा तक, शून्य होगा
(2) जहां किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून समवर्ती सूची में शामिल मामलों में से किसी एक के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए पहले के कानून या उस मामले के संबंध में मौजूदा कानून के प्रावधानों के खिलाफ कोई प्रावधान शामिल है, तो, ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, यदि इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है और उनकी सहमति प्राप्त हो गई है, तो उस राज्य में मान्य होगा:

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी संसद को किसी भी समय एक ही मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने से नहीं रोकेगा, जिसमें राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को जोड़ने, संशोधित करने, बदलने या निरस्त करने वाला कानून भी शामिल है।

18. प्रतिकूलता का प्रश्न तभी उठता है जब संसद और राज्य विधायिका दोनों ने समवर्ती सूची ;सूची (III) में शामिल मामलों में से किसी एक के संबंध में कानून बनाया हो। वर्तमान मामले में 1956 और 1954 के दो अधिनियम क्रमशः सूची (III) और सूची (II) में प्रविष्टियों से संबंधित हैं। सूची (III) में प्रासंगिक प्रविष्टियाँ प्रविष्टि संख्या 5 और 7 हैं जबकि सूची (II) की प्रासंगिक प्रविष्टि प्रविष्टि संख्या 18 है। उक्त प्रविष्टियाँ नीचे पुनः प्रस्तुत दी गई हैं:
" सूची (II) – राज्य सूची
प्रविष्टि 18: भूमि, यानी भूमि में या उस पर अधिकार, मकान मालिक और किरायेदार के संबंध सहित भूमि कार्यकाल और किराए का संग्रह, कृषि भूमि का हस्तांतरण और हस्तांतरण, भूमि सुधार और कृषि ऋण, उपनिवेशीकरण.
सूची (III) – समवर्ती सूची
प्रविष्टि 5: विवाह और तलाक, शिशु और नाबालिग. दत्तक ग्रहण, वसीयत, निर्वसीयत और उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार और विभाजन, सभी मामले जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाही में पक्ष इस संविधान के प्रारंभ

से ठीक पहले उनके व्यक्तिगत कानून के अधीन थे।

xxx xxx xxx

प्रविष्टि 7: अनुबंध, जिसमें साझेदारी, एजेंसी, गाड़ी के अनुबंध और अन्य विशेष प्रकार के अनुबंध शामिल हैं, लेकिन कृषि भूमि से संबंधित अनुबंध शामिल नहीं हैं।"

19. इस तथ्य के अलावा कि अनुच्छेद 254 को पढ़ने से पता चलता है कि यह समवर्ती सूची ;सूची (III) में शामिल मामलों के संबंध में बनाए गए कानून में प्रतिकूलता को संदर्भित करता है, इस न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि प्रतिकूलता का प्रश्न इसमें नहीं आएगा। जब तक कि यह पहली बार स्थापित न हो जाए कि दोनों अधिनियम समवर्ती सूची ;सूची (III) के अंतर्गत हैं। इस संबंध में इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और अन्य में इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लेख करना उचित होगा ।

इसमें यह माना गया है कि प्रतिकूलता की जांच करने का प्रश्न बिल्कुल भी लागू नहीं होगा जब तक कि यह पहले स्थापित न हो जाए कि केंद्र और राज्य के तहत दोनों अधिनियम समवर्ती सूची ;सूची (III) के तहत सूचीबद्ध मामलों के संबंध में हैं। नतीजतन, यह कहा गया है कि अनुच्छेद 254 का वर्तमान मामले में कोई आरोपण नहीं होगा। कंडिका 51 विधि के सभी बिन्दुओं पर विस्तार से बहस करने के उपरांत प्रस्ताव बताती है। वर्तमान मामले के लिए, प्रस्ताव 51 प्रासंगिक है जो इस प्रकार हैः

"51 इसलिए, उपरोक्त उल्लिखित मामले के आधार पर निम्नलिखित प्रस्ताव देता है:

51.1. अनुच्छेद 254 के तहत प्रतिकूलता तभी उत्पन्न होती है जब संसदीय ;या मौजूदा कानूनद्ध और राज्य कानून दोनों भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची प्प्प् के संदर्भ में हैं। वर्तमान मामले में, 1954 अधिनियम सूची (III) में उल्लिखित किसी भी मामले के लिए संदर्भित नहीं है, बल्कि यह सूची (II) की प्रविष्टि 18 के लिए संदर्भित है। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 254 के मद्देनजर प्रतिकूलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

20. 1956 अधिनियम के एक विशेष कानून होने और 1954 के एक सामान्य कानून होने से संबंधित तर्क का दूसरा भाग पूरी तरह से गलत है। न केवल इस न्यायालय के बल्कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों की एक श्रृंखला में, यह व्यक्त किया गया है कि कृषि भूमि कार्यकाल से संबंधित कोई भी राज्य अधिनियम एक विशेष कानून है। प्रशांति बनाम उपसंचालक चकबंदी के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है।

1956 अधिनियम की धारा 4(2) का विलोपन :

21. 1956 अधिनियम की धारा 4(2) इस प्रकार पढ़ी गई:

"4. अधिनियम का अधिभावी प्रभाव :

1) .....

2) संदेह को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कृषि जोतों या ऐसी जोतों के संबंध में अधिकतम सीमा के निर्धारण या किरायेदारी अधिकारों के हस्तांतरण के लिए, इस अधिनियम में निहित किसी भी चीज़ को विखंडन की रोकथाम के लिए प्रदान किए जाने वाले समय के लिए लागू किसी भी कानून के प्रावधानों को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।'

22. 2005 तक, विशेष रूप से 09.09.2005 तक, जब 2005 का हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम लागू किया गया था, उपरोक्त प्रावधान क़ानून पर बना रहा। यह विवाद में नहीं है कि विवादित संपत्ति कृषि संपत्ति है, और इसलिए, 1997 में जिस समय मुख्तियार सिंह की मृत्यु हुई, ब्याज का हस्तांतरण (विरासत) उक्त तिथि पर निर्धारित किया जाएगा । उस समय मौजूद कानून के साथ 1997 में 1956 अधिनियम की धारा 4 (2) क़ानून पर लागू थी, इसके बाद के विलोपन से विरासत के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो संशोधन से पहले ही अर्जित और क्रिस्टलीकृत हो चुके थे। इसलिए, तथ्यों के आधार पर 1956 अधिनियम की धारा 4(2) को हटाने से अपीलकर्ताओं को मदद नहीं मिलेगी।

23. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सभी संशोधनों को भावी रूप से लागू माना जाता है जब तक कि

भूतलक्षी रूप से लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जाता है या विधायिका द्वारा ऐसा करने का इरादा नहीं है। निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता हैरू

ख्एलआर ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त 10 य हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य 11 य भारत संघ बनाम ज़ोरा सिंह 12।,

वर्तमान मामले में संशोधित अधिनियम से ऐसा कोई अशय प्रतिबिंबित नहीं होता है।

24. सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के आधार पर , किसी अधिनियम का निरसन ऐसे अधिनियम के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। श्री भगवती स्टील रोलिंग मिल्स बनाम सीसीई 13 में, इस न्यायालय ने माना है कि निरसन को एक विलोपन के समान माना जाना चाहिए और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 एक विलोपन पर भी समान रूप से लागू होगी क्योंकि यह एक निरसन पर लागू होगी। सामान्य धारा अधिनियम की धारा 6(बी) और 6(सी) के कारण, 1956 अधिनियम की धारा 4(2) का विलोपन उक्त धारा 4(2) के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं कर सकता है । उपरोक्त रिपोर्ट के कंडिका 12 और 13 का निम्नप्रकार अवलोकन आवश्यक है:

"12. इससे यह स्पष्ट है कि जब सामान्य धारा अधिनियम की धारा 6 किसी अधिनियम को निरस्त करने की बात करती है, तो यह न केवल संपूर्ण अधिनियम को संदर्भित करती है, बल्कि किसी अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान को भी संदर्भित करती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि किसी क़ानून का एक भाग हटा दिया जाता है, तो धारा 6 फिर भी लागू होगी। दूसरे, यह स्पष्ट है, जैसा कि फ़ाइबर बोर्ड के फैसले में हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों के एक अंश का हवाला देते हुए कहा गया है, कि अभिव्यक्ति ''विलोकपन'' कुछ और नहीं बल्कि शब्दों का एक विशेष रूप है जो किसी अधिनियम या उसके हिस्से को निरस्त करने के आशय को दर्शाता है। इसे विलियम सी. बर्टन द्वारा लिखित लीगल थिसॉरस ;डीलक्स संस्करणद्धए 1979 संस्करण द्वारा और अधिक स्पष्ट किया गया है। अभिव्यक्ति "हटाएँ" को थिसॉरस द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

''हटाएं''– विलुप्त करना, निरस्त, नियंतत्र, काट देना, बाहर करना, काटना, मिटाना, खारिज करना, दूर करना, छोड़ना, हाटना, प्रभावित, विलोपित, अनावाश्यक वस्तु या व्यक्ति को हटाना, पूर्णतया उन्मूलन करना, आरोपित करना, निष्कासित करना, अवान्छित तथ्य को हटाना, छुटकारा पाना, छोड़ना, हटा कर बदलाव करना,

इसी प्रकार अभिव्यक्ति "ओमिट" को भी इस थिसॉरस द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

''छोड़ें:– सम्मिलित करने से बचें, बायपास करें, अलग रखें, गिनें, काटें, हटाएं, त्यागें, चकमा दें, छोड़ें, बहिष्कृत करें, करने में असफल रहें, सम्मिलित करने में असफल रहें उल्लेख करने में असफल रहें, छोड़ें, पूर्ववत छोड़ें, जाने , गुजर जाने दें, चूक जाने दें, चूक जाओ, उपेक्षा करो, छोड़ दों, पार कर जाना, छोड़ दो, हल्का सा, स्थानांतरित करना

और अभिव्यक्ति ष्निरसनष् को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

''निरसन'' – ''निरस्त करना, . समाप्त करना, रद्द करना, टालना, प्रतिवाद करना, शून्य और शून्य घोषित करना, हटाना, समाप्त करना, औपचारिक रूप से वापस लेना, अमान्य करना, शून्य बनाना, नकारना, मिटाना, आधिकारिक तौर पर वापस लेना, अस्वीकार करना, खारिज करना, रद्द करना, वापस लेना, अमान्य करना, उलटना, अलग रखना, खाली करना ।

13. तीन अभिव्यक्तियों ''हटाएं'' ''छोड़ें'' और ''निरस्त'' को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ''हटाएं'' और ''छोड़ें'' का उपयोग परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है, इसलिए जब अभिव्यक्ति ''निरस्त'' का अर्थ ''हटाएं'' होता है श्यह आवश्यक रूप से अपने दायरे में एक विलोपन को भी शामिल करेगा। ऐसा होने परए हमें इस तर्क में कोई सार नहीं मिलता है कि ''निरसन'' शुरू से ही विनाश के समान है, जबकि ''विलोपन'' केवल भविष्य में है। यदि अभिव्यक्ति ''हटाएं'' को ''निरसन'' माना जाएगा, जिसे अपीलकर्ता के वकील इनकार नहीं करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून और यहां ऊपर उद्धृत कानूनी थिसॉरस दोनों को एक संयुक्त पढ़ने से एक ही परिणाम मिलता है, अर्थात्, एक ''विलोपन'' तथा ''मिटाना'' निरसन का एक रूप है।

25. धारा 4 (2) का विलोपन दिनांक 09.09.2005 से हुआ। इसलिए, विलोपन का प्रभाव केवल उन उत्तराधिकारों के संबंध में हो सकता है जो 09.09.2005 को या उसके बाद खुले। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्य धारा अधिनियम की धारा 6 (बी) और 6 (सी) के तहत निरसन किसी भी निरस्त किए गए अधिनियम के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं कर सकता है और किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता है जो अर्जित या उपार्जित हो सकता है । वर्तमान मामले में, यह माना जाना चाहिए कि उत्तराधिकार 09.09.2005 से पहले खोला गया है, धारा 50 के संदर्भ में वंशजों के अधिकार 1956 अधिनियम की धारा 4 (2) के साथ पढ़ी गई उक्त धारा के कारण स्पष्ट हो गए हैं। इसलिए, धारा 4 (2) को हटाने का पूर्वलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता।

26. 1956 के अधिनियम कि धारा 4 (2) के अस्तित्व और उसके विलोपन का वर्तमान मामले में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका एक कारण यह है कि 1954 अधिनियम, जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक विशेष कानून है, जो केवल कृषि जोत पर किरायेदारी अधिकारों के विखंडन, सीमा और हस्तांतरण से संबंधित है, जबकि 1956 अधिनियम एक सामान्य कानून है, जो हिंदू को धर्म के आधार पर उत्तराधिकार प्रदान करता है। इसकी धारा 2 में कहा गया है । 1956 के अधिनियम में धारा 4 (2) का अस्तित्व या अनुपस्थिति महत्वहीन होगी।

तृतीय. विनीता शर्मा के मामले में दिये गये फैसले का असर:

27. अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा दिया गया तर्क यह है कि धारा 6 में संशोधन की प्रयोज्यता और 1956 अधिनियम से धारा 4 (2) को हटाने का भूतलक्षी प्रभाव होगा, जिससे अपीलकर्ताओं को कोई मदद नहीं मिलेगी। एक बार जब हमारे द्वारा धारित किया गया है कि वर्तमान मामले में संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार 1954 अधिनियम द्वारा शासित है, तो किसी भी संशोधन का भले ही 1956 अधिनियम में भूतलक्षी प्रभाव हो, इसका उत्तराधिकार के प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1954 अधिनियम यद्यपि इस न्यायालय ने विनीता शर्मा के फैसले में 2005 में संशोधित अधिनियम 1956 की धारा 6 को ही भूतलक्षी प्रभाव दिया है । धारा 4 (2) को भूतलक्षी होने के कारण हटाने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है। इसलिए, यह तर्क भी विफल हो जाता है।

चतुर्थण् लिंग पूर्वाग्रहध्महिला सशक्तिकरणरू

28. एक बार जब यह पुष्टि हो जाती है कि 1954 अधिनियम को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि उक्त कानून भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल है, तो इस तर्क का भी कोई औचित्य नहीं है।

V. बाबू राम के मामले में दिये गए फैसले का प्रभाव :

29. बाबू राम के मामले में फैसले पर विश्वास करने से अपीलकर्ता को कोई मदद नहीं मिली। बाबू राम का मामला हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, जहां सूची (II) की प्रविष्टि 18 में उल्लिखित मामलों को अच्छादित करने वाला कोई राज्य अधिनियम नहीं है, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य के पास कृषि भूमि कार्यकाल को अच्छादित करने वाला कोई स्थानीय अधिनियम नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय ने माना कि कृषि भूमि का उत्तराधिकार 1956 के अधिनियम द्वारा शासित होगा। यह उल्लेख करना उचित होगा कि बाबू राम के फैसले में ही इस न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि यदि सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 18 सूची (II) के क्षेत्र को अच्छादित करने वाला कोई राज्य अधिनियम होता, तो कृषि भूमि पर अधिकार उसी के द्वारा शासित होते। कंडिका 21 और 22 जो प्रासंगिक हैं, उन्हें यहां पुनः उद्धृत किया गया है:

"21. वर्तमान मामले में, यह किसी का मामला नहीं है कि कृषि भूमि में हित के उत्तराधिकार से संबंधित मामले किसी भी तरह से हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू किसी भी राज्य कानून द्वारा निपटाया जाता है या ऐसा कानून नीचे दिए गए सिद्धांतों के अनुसार लागू होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 जहां तक हिमाचल प्रदेश राज्य का संबंध है, यह क्षेत्र केवल अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत आता है। इसलिए, उच्च न्यायालय यह मानने में बिल्कुल सही था कि अधिनियम की धारा 22 राज्य में कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में लागू होगी।

22. हालाँकि, कृषि भूमि का उत्तराधिकार अन्यथा अधिनियम की धारा 22 के तहत निपटाया जाता है, अधिनियम की धारा 4 (2) के प्रावधानों ने, इसके हटाने से पहले, यह स्पष्ट कर दिया था कि अन्य बातों के

साथ कृषि जोत के संबंध मे किरायेदारी अधिकारों के हस्तांतरण के मामले में अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे । इस प्रकार, हटाए जाने से पहले अधिनियम की धारा 4(2) का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट था, हालांकि कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार के सामान्य क्षेत्र को अधिनियम की धारा 22 के तहत निपटाया गया था, जहां तक किरायेदारी अधिकारों के हस्तांतरण की बात है कृषि जोतों के संबंध में, धारा 22 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसलिए, बंबई उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में बिल्कुल सही था। हालाँकि, अधिनियम की धारा 4 (2) को हटाने के साथ, अब अधिनियम की धारा 22 की प्रयोज्यता में कोई अपवाद नहीं है। लेकिन हमें मामले के उस पहलू पर विचार करने के लिए नहीं कहा गया है।

30. ऊपर दर्ज सभी कारणों से, अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। मूल्य पर कोई आदेश पारित नहीं है।

अपील खारिज

पाद टिप्पणी

1. 1973 (4) एस.सी.सी. 225,
2. (2020) 9 एस.सी.सी. 1
3. (2019) 14 एस.सी.सी. 162
4. 1981, 2 एस.सी.सी. 362
5. (2007) 2 एस.सी.सी. 1
6. (2018) 1 एस.सी.सी. 407, पेज– 650, कंडिका– 50–51
7. (1997) 11 एस.सी.सी. 157
8. (2020) एस.सी.सी. आनलाईन ए.सी.– 705 कंडिका–27
9. (1994) 4 एस.सी.सी. 602, कंडिका– 26
10. (1992) 1 एस.सी.सी. 673, कंडिका– 12
11. (2016) 3 एस.सी.सी. 643, कंडिका– 12

ऋचा श्रीवास्तव